



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

31 वैशाख 1941 (श0)  
(सं0 पटना 615) पटना, मंगलवार, 21 मई 2019

---

#### निर्वाचन विभाग

##### अधिसूचना

21 मई 2019

सं० एम०-1-018/2019-42--बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2019 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 100/बिहा.-वि.प./5/2019-एम.एल.ए.(1) दिनांक 21.05.2019, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 100/बिहा.-वि.प./6/2019-एम.एल.ए.(1) दिनांक 21.05.2019 एवं अधिसूचना संख्या 100/बिहा.-वि.प./5-6/2019-एम.एल.ए.(2) दिनांक 21.05.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार गुप्ता,

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार-सह-संयुक्त सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001. दिनांक 21 मई, 2019/वैशाख 31, 1941 (शक)

सं० 100/बिहा.-वि.प./5/2019-एम.एल.ए.(1)- यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन का स्थान, उनकी पदावधि, जो कि 06.05.2024 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु होने के कारण, 12.01.2019 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य के विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 10 जून 2019 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

- |                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख             | - 28 मई, 2019 (मंगलवार);     |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख              | - 29 मई, 2019 (बुधवार);      |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख         | - 31 मई, 2019 (शुक्रवार);    |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा   | - 7 जून, 2019 (शुक्रवार); और |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा | - 10 जून, 2019 (सोमवार); और  |

(इ) निर्वाचन के लिए 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,  
वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 21<sup>st</sup> May, 2019/  
Vaisakha 31, 1941 (Saka)*

No.100/BR-LC/5/2019-MLA (1): - Whereas, the seat of **Syed Khurshid Mohammad Mohsin** in the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of the Legislative Assembly of the State, has become vacant on 12.01.2019 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 06.05.2024; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 151, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, before 10<sup>th</sup> June, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State;
- (B) appoints with respect to said election,-
- the 28<sup>th</sup> May, 2019 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - the 29<sup>th</sup> May, 2019 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 31<sup>st</sup> May, 2019 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 7<sup>th</sup> June, 2019 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 10<sup>th</sup> June, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 9.00 a.m. to 4.00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,  
**VARINDER KUMAR, PRINCIPAL SECRETARY.**

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001. दिनांक 21 मई, 2019/वैशाख 31, 1941 (शक)

सं० 100/बिहा.-वि.प./6/2019-एम.एल.ए.(1)- यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित डॉ. सूरज नंदन प्रसाद का स्थान, उनकी पदावधि, जो कि 06.05.2020 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु होने के कारण, 30.12.2018 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य के विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 10 जून 2019 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

- |                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख             | - 28 मई, 2019 (मंगलवार);     |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख              | - 29 मई, 2019 (बुधवार);      |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख         | - 31 मई, 2019 (शुक्रवार);    |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा   | - 7 जून, 2019 (शुक्रवार); और |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा | - 10 जून, 2019 (सोमवार); और  |

(इ) निर्वाचन के लिए 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,  
वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 21<sup>st</sup> May, 2019/  
Vaisakha 31, 1941 (Saka)*

No.100/BR-LC/6/2019-MLA (1): - Whereas, the seat of **Dr. Suraj Nandan Prasad** in the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of the Legislative Assembly of the State, has become vacant on 30.12.2018 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 06.05.2020; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 151, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, before 10<sup>th</sup> June, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State;
- (B) appoints with respect to said election,-
- the 28<sup>th</sup> May, 2019 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - the 29<sup>th</sup> May, 2019 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 31<sup>st</sup> May, 2019 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 7<sup>th</sup> June, 2019 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 10<sup>th</sup> June, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 9.00 a.m. to 4.00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,  
**VARINDER KUMAR, PRINCIPAL SECRETARY.**

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मई, 2019/वैशाख 31, 1941 (शक)

सं. 100/बिहा.-वि.प./5-6/2019-एम.एल.ए.(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से दिनांक 21 मई, 2019 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचनाओं के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए होने वाले उप निर्वाचनों के संबंध में, एतद्वारा :-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदानामित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग ऑफिसर की उसके प्रकार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है।

## सारणी

| रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी<br>(1) | सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी<br>(2) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव,<br>बिहार विधान सभा | श्री भूषण कुमार झा, निदेशक,<br>बिहार विधान सभा          |

आदेश से,  
वरिन्डर कुमार, प्रधान सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 21<sup>st</sup> May, 2019/  
Vaisakha 31, 1941 (Saka)*

**No. 100/BR-LC/5-6/2019-MLA (2):** - In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of State of Bihar, hereby:-

- designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of bye-elections to the Legislative Council of the State of Bihar by the members of Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Commission's Notifications published in the official Gazette of the State on 21.05.2019:-

## TABLE

| Officer designated as<br>Returning Officer<br>1                     | Officer appointed as<br>Assistant Returning Officer<br>2       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sh. Bateshwar Nath Pandey, Secretary,<br>Bihar Legislative Assembly | Sh. Bhushan Kumar Jha, Director,<br>Bihar Legislative Assembly |

By order,

**VARINDER KUMAR, PRINCIPAL SECRETARY.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 615-571+50 डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>